नुरुम के तहत पानी सप्लाई सिस्टम बदलने का काम शुरू

अप्रैल 2014 से घर-घर 24 घंटे पेयजल सप्लाई

पटना | वरीय संवाददाता

राजधानीवासियों को अनियमित पानी सप्लाई की समस्या से निजात मिलेगी। वर्ष 2014 के अप्रैल से 24 घंटे घर-घर पेयजल की सप्लाई की जाएगी। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन योजना के तहत शहर में सप्लाई सिस्टम बदलने के लिए 548 करोड़ रुपये की योजना पर काम शुरू हो गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री प्रेम कुमार ने सोमवार को पदाधिकारियों के साथ बैठक कर योजना की प्रगति की समीक्षा की। बुडको के माध्यम से कराई जा रही इस योजना के सभी कार्य अप्रैल 2014 में पूरे हो जाएंगे। पेयजलापूर्ति योजना के निर्माण पर 476 करोड़ रुपये और निर्माण के बाद दस वर्षों तक उसके रखरखाव पर 72 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

नगर निगम क्षेत्र को दो हिस्सों में बांटकर होगी सप्लाई

नगर निगम क्षेत्र को दो हिस्सों में बांटकर पानी की सप्लाई की जाएगी। दिल्ली-हावड़ा मुख्य रेलमार्ग के उत्तरी भाग के 47 वार्डों में गंगा के पानी का ट्रीटमेंट कर रोज 220 एमएलडी पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए दीघा में एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। जबकि, रेलमार्ग के दक्षिणी भाग के 25 वार्डों में बोरिंग के माध्यम से रोज 105 एमएलडी पेयजल की सप्लाई की जाएगी। नगर निगम के सभी 72 वार्डों को मिलाकर 25 बोरिंग और 72 जलमीनारों का निर्माण कराया जाएगा। प्रति व्यक्ति 135 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से जलापूर्ति की जाएगी। बुडको की निगरानी में स्पेशल व्हीकल कंपनी 'पटना वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड' जलापूर्ति योजना का कार्य करेगा। यह एसपीवी कंपनी गैमन इंडिया और जियोमिलर कंपनी की ज्वाइंट वेंचर कंपनी है।

परियोजना में सर्वे और डिजाइन का कार्य चल रहा है। देशभर में इस तरह की सबसे बड़ी योजना है। यह अत्यंत उन्नत तकनीक पर आधारित है। सभी 72 वार्डों को नेटवर्क से जोड़कर स्काडा सिस्टम से जलापूर्ति और मॉनिटरिंग होगी। निर्धारित समय सीमा के अंदर परियोजना का कार्य पूर्ण कराने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया गया है। केंद्र और राज्य सरकार की राशि से कार्य कराया जाएगा।
प्रेम कुमार, मंत्री
नगर विकास एवं आवास विभाग

योजना एक नजर में

548 करोड़ रुपये खर्च होंगे शहर में इस योजना पर

24 माह में पूरी होगी परियोजना और दस वर्ष है रखरखाव की अवधि

शहर की आबादी	कुल वार्ड
16,83,200	72

- घरेलू जलापूर्ति कनेक्शन 62,500
- प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पानी सप्लाई 135 लीटर
- वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 220 एमएलडी
- जलमीनार 72
- नलकूप 25
- राइजिंग मेन
  इंटेक वेल से जल शोधन प्लांट, एमएस पाइप, व्यास 129 मीटर, लंबाई 150 मीटर

जल वितरण प्रणाली

लंबाई 786233 मीटर व्यास 90 मिमी से 350 मिमी
- एचडीपीई पाइप: लंबाई 668462मीटर व्यास 90 मिमी से 200 मिमी
- डीआई पाइप : लंबाई 117771 मीटर व्यास 250 मिमी से 350 मिमी

शुद्ध जल मेन पाइप

लंबाई 64090 मीटर व्यास 150 मिमी से 914 मिमी
- एमएस पाइप: लंबाई 18721मीटर, व्यास 610 मिमी से 914मिमी
- डीआई पाइप: लंबाई 45369 मीटर, व्यास 150 मिमी से 500मिमी

दशकों पुरानी है मौजूदा व्यवस्था

पटना की पानी सप्लाई की मौजूदा व्यवस्था दशकों पुरानी है। राजधानी की आधी आबादी पानी के लिए निजी बोरिंग और हैंडपंपों पर निर्भर है। नगर निगम सही तरह से मात्र एक चौथाई घरों तक ही पानी पहुंचा पाता है। गर्मी में पानी के लिए हर साल हाय-तौबा मचने की बात किसी से छिपी नहीं है। जलापूर्ति पंप में कोई खराबी हो गई, तो उसे कब ठीक किया जाएगा, इसके लिए कोई समयसीमा तय नहीं है। बोरिंग के माध्यम से जमीन के अंदर से जो पानी निकाला जाता है, उसका एक बड़ा हिस्सा जर्जर पाइप के कारण नाले में बह जाता है।

93 पंप हैं शहर में। इनमें से दस पंप बंद हैं यानी 83 पंपों से ही पानी की सप्लाई होती है।

700 किमी है कुल जलापूर्ति पाइप की लंबाई

20 पंप कबाड़ होने की कगार पर

24 जलमीनार हैं शहर में कार्यरत हैं मात्र सात

29 करोड़ लीटर पानी निकाला जाता है जमीन के अंदर से

17.5 करोड़ लीटर है नलों तक पहुंचने वाले पानी की मात्रा

11.5 करोड़ लीटर बह जाता है नालों में

500 किलोमीटर है जर्जर पाइप